

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17646/2023

देवेन्द्र वर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री नरेश वर्मा, स्वर्गीय श्री राजेश वर्मा के पोते, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 3864,
केजीबी का रास्ता, जौहरी बाजार, जिला-जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, संयुक्त सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग-राजस्थान, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. अतिरिक्त निदेशक (खान), पर्यावरण एवं विकास, उदयपुर
3. अधीक्षण खनन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बीकानेर वृत्त, बीकानेर।
4. खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर, खनन अभियंता, नागौर (राजस्थान) के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री संदीप सिंह शेखावत
प्रतिवादी(ओं) के लिए :

**माननीय श्रीमान जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश**

07/10/2024

1. यह रिट याचिका दिनांक 30.06.2004, 18.03.2021 और 30.05.2023 के आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें क्रमश लीज डीड को रद्द करने, अपील और पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था।
2. वर्तमान याचिका में चुनौती अपीलीय प्राधिकारी के उस आदेश को दी गई है जिसमें अपील को सत्रह वर्ष की देरी से दायर किए जाने के कारण समय समाप्त हो जाने के कारण खारिज कर दिया गया था।
3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के दादा (जिन्हें आगे 'मृतक' कहा जाएगा) को 05.03.1999 के आदेश द्वारा, ग्राम मानकपुर, तहसील मुंडवा, जिला नागौर के पास, 4.28 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए खनन पट्टा संख्या 74/1997 स्वीकृत किया गया था और खनन पट्टा निष्पादित किया गया था। मृतक ने खनन पट्टा संचालन के लिए 23.09.1999 को श्री मनीष चौधरी के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित किया था। 19.09.2003 को,

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/129/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:36:54 बजे डाउनलोड किया गया)

1,75,273/- रुपये जमा करने और नोटिस में बताई गई कमियों को दूर करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का पालन न करने पर, 30.06.2004 के आदेश द्वारा पट्टा विलेख रद्द कर दिया गया था। भुगतान जमा न करने के कारण, भूमि राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की गई और मृतक के आवासीय घर को कुर्क करने का आदेश दिनांक 04.05.2007 पारित किया गया। कुर्की आदेश को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 5264/2007 में चुनौती दी गई थी। रिट याचिका का निपटारा 09.08.2017 को किया गया क्योंकि सीमित प्रार्थना की गई थी कि भुगतान करने के लिए चार महीने का समय दिया जाए। याचिकाकर्ता को चार महीने के भीतर 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ पूरी देय राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आवश्यक कार्य करने में विफल रहने पर, प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अवसर दिया गया था। गैर-अनुपालन पर, प्रतिवादियों ने मृत व्यक्ति को 30.09.2019 को अवमानना नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि मृत व्यक्ति के खिलाफ अवमानना नहीं हो सकती। सीसीपी संख्या 1469/2019 याचिकाकर्ता ने अपील संख्या 180/2020 दायर करके लीज़ डीड रद्द करने के 30.06.2004 के आदेश को चुनौती दी। 18.03.2021 के आदेश द्वारा अपील को समयबाधित बताते हुए खारिज कर दिया गया। 30.05.2023 को दायर पुनरीक्षण याचिका को समयबाधित बताते हुए खारिज कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई। तर्क यह है कि प्रतिवादी पर यह दायित्व नहीं छोड़ा गया कि खनन पट्टा रद्द करने का आदेश याचिकाकर्ता को दिया गया था।

5. मृतक के पक्ष में पट्टा विलेख स्वीकृत हुआ और पट्टा स्वीकृत होने के छह महीने के भीतर ही मृतक ने खदान संचालन हेतु श्री मनीष चौधरी के पक्ष में मुख्तारनामा निष्पादित कर दिया। नोटिस जारी होने के बाद, दिनांक 30.06.2004 के आदेश द्वारा, पट्टा विलेख समाप्त कर दिया गया। पुनरीक्षण आदेश में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि दिनांक 30.06.2004 का आदेश पट्टाधारक के मुख्तारनामा को 21.07.2004 को भेजा गया था और अभिलेखों से स्पष्ट है कि आदेश की तामील हो गई थी। यह तर्क कि याचिकाकर्ता को आदेश की तामील नहीं हुई, निराधार है। दर्ज निष्कर्षों के मद्देनजर, प्रतिवादियों द्वारा आदेश की तामील का दायित्व समाप्त कर दिया गया है।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/129/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:36:54 बजे डाउनलोड किया गया)

6. पट्टा धारक मृतक था जिसने श्री मनीष चौधरी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की थी। आदेश पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को तामील किया गया था। याचिकाकर्ता के पिता द्वारा सत्रह वर्ष बाद अपील दायर की गई और याचिकाकर्ता द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस तथ्य पर विचार करने का कोई प्रश्न ही नहीं था कि पट्टा विलेख को समाप्त करने का आदेश याचिकाकर्ता को तामील किया गया था या नहीं?
7. दूसरा पहलू यह है कि मृतक एक रिट याचिका दायर करके बनाई गई मांग के खिलाफ मुकदमा चला रहा था जिसमें बयान दिया गया था कि याचिका पर जोर नहीं दिया जा रहा है और उचित ब्याज के साथ राशि जमा करने के लिए चार महीने का समय दिया जाए। इस न्यायालय ने 09.08.2017 के आदेश के तहत राहत प्रदान की थी लेकिन राशि जमा नहीं की गई थी। इस न्यायालय के 09.08.2017 के निर्देशों का पालन न करने के कारण अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रतिवादी द्वारा जारी नोटिस का याचिकाकर्ता के पिता ने विधिवत जवाब दिया कि मृतक द्वारा दिए गए उपक्रम पर कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। अक्टूबर, 2020 में ही जब याचिकाकर्ता के पिता के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी, सत्रह साल बाद अपील दायर करके लीज डीड को समाप्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि यह तरीका पूरी तरह से जानते हुए अपनाया गया था।
8. राजस्थान खनन एवं खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 63 के अनुसार, अपील दायर करने की समय-सीमा तीन महीने है। अपीलीय प्राधिकारी को तीन महीने की देरी को क्षमा करने का अधिकार है। वर्तमान मामले में अपील सत्रह वर्ष बाद यह तर्क देते हुए दायर की गई है कि याचिकाकर्ताओं को कोई आदेश नहीं दिया गया।
9. रिट याचिका में की गई दलीलों के अनुसार मृतक ने श्री मनीष चौधरी के पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त की थी, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता या उसके पिता को इसकी जानकारी नहीं थी और उनके द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा सका, यह अपने आप में सीमा का विस्तार नहीं करता है।
10. दिनांक 30.05.2023 के आदेश में दर्ज तथ्य यह है कि आदेश 21.07.2004 को पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को भेजा गया था और इसकी तामील की गई थी, जिसे चुनौती नहीं दी गई है।
11. रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है।
12. रिट याचिका खारिज की जाती है।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/129/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:36:54 बजे डाउनलोड किया गया)

(अवनीश झिंगन),जे

चंदन/10

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/129/2025 दायर किया गया है। कृपया आगे के आदेशों के लिए इसे देखें)

(29/05/2025 को 02:36:54 बजे डाउनलोड किया गया)